FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...त सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ...मुकाम...

अमराराम ...बनाम... राया राम वगैरह

...स्म मुकदमा... धारा 88,188 राज अधि ...नं... 112/20 ...सन्... 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/7/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री महावीर जीनगर ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188 राज अधि राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22/7/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
22/07/20	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया तथा वादी संख्या-2 के द्वारा PW-1- सवाराम पुत्र रामाराम जाति- भील निवासी- महादेव मन्दिर, परेऊ तह०- गिड़ा द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में शपथ-पत्र पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 से 12 को तर्क किया गया जिनमें कोई किसी प्रकार की इन्तकाल नहीं चाही गई है। अतः वादी बहस पत्रावली दिनांक 28/08/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	L.T.I. रामाराम अमराराम L.T.I. अमराराम L.T.I. [illegible] केशाराम प्रतिवादी संख्या 2 से 12 को तर्क करता हूं वादी वकील [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek V
Date: 2020.09.11 16:31:2
Reason: SelfAttested

26/08/2020

वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त भूमि पैतृक साबित होती है अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO)
26.8.2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:31:27 IST
Reason: SelfAttested

यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 112/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अमराराम पुत्र रामाराम		1. रामाराम पुत्र स्वरूपाराम
2. सताराम पुत्र रामाराम		2. हेमाराम पुत्र स्वरूपाराम
3. शेराराम पुत्र रामाराम		3. मगाराम पुत्र पदमाराम
4. केशराम पुत्र रामाराम जाति भील निवासी महादेव मन्दिर, परेउ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		4. चुनाराम पुत्र पदमाराम
		5. अचलाराम पुत्र पदमाराम
		6. नरपतराम पुत्र पदमाराम
		7. रतनाराम पुत्र पदमाराम
		8. वालाराम पुत्र पदमाराम
		9. लसाराम पुत्र पदमाराम
		10. पेंपोदेवी पत्नी पदमाराम
		11. मोहनीदेवी पत्नी बाबुलाल
		12. पाबुराम पुत्र लालारान जाति भील निवासी महादेव मन्दिर, परेउ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
		13. तहसीलदार गिड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री महावीर जीनगर वकील वादीगण
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :– दिनांक : 26/08/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा परेउ पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 749 रकबा 39.0300 बीघा व मौजा महादेव मन्दिर पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 513, 525, 961/526 कुल रकबा 55.04 बीघा में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:31:27 IST
Reason: SelfAttested

...थ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय
...। किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण स्वरूपाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगणं का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा परेउ पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 749 रकबा 39.0300 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/6 हिस्से के साथ व मौजा महादेव मन्दिर पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 513, 525, 961/526 कुल रकबा 55.04 बीघा सम्पूर्ण हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 26/08/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

26.8.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:31:27 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

अमराराम पुत्र रामाराम वगैरा — रामाराम पुत्र स्वरूपाराम वगैरा

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–112/2020. **निर्णय दिनांक :–** 26/08/2020

वादी की ओर से वकील श्री महावीर जीनगर व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/08/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा परेउ पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 749 रकबा 39.0300 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/6 हिस्से के साथ व मौजा महादेव मन्दिर पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 513, 525, 961/526 कुल रकबा 55.04 बीघा सम्पूर्ण हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु, सत्यमेव जयते

विवेक व्यास 26.8.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:31:27 IST
Reason: SelfAttested